

53/12

53/12

दिनांक आज्ञा पत्र

25-7-11

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है, इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रतरी निस्तारण कि जा सकें पत्रावली करते बलबी रिकार्ड दिनांक 29/11/11 को पेश हों।

29/11/11

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पोंडेंट पीतासीन अधिकारी महोदय आज 29/11/11 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6/2/11 को पेश हों।

6.2.11

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6/2/11 को पेश हों।

7.2.11

पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तुरतीव तकमील दाखिल दफतर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पेटेन राजस्व अपील अधिकारी